

डिक्री मूल वाद पत्र  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता 07/2025

भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़



वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. अन्जु पुत्री हंसराज जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. सुमन पुत्री हंसराज जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. टुरना पत्नी भूपेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साकिन वार्ड नं. 19 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता व राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए सहमती/इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

वादी भूपेन्द्र कुमार को प्राप्त भूमि -

चक	प.नं.	किला	तादादी
6 एलकेएस	4/272	1 ता 5, 9/1, 10	1.695 हैक्.
	4/271	16/1, 16/2, 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2	2.024 हैक्.

कुल तादादी 3.719 हैक्.

भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर खातेदार काश्तकार घोषित किया शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगा।



तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ़

जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30-05-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधीक्षक सहायक  
पदेन सहायक न्यायाद्वर  
पिलीबिठ मदनगढ़